



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012020-215636
CG-DL-E-22012020-215636

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]
No. 281]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2020/माघ 2, 1941
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2020/MAGHA 2, 1941

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2020

का.आ. 292(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उप-धारा (5), उप-धारा (6) और उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक में निहित अचल शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अचल शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि आदेश, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अंतर-मंत्रालय समूह (आइएमजी).—केंद्रीय सरकार सचिव, डीआईपीएएम और सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता/सह-अध्यक्षता और गृह मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, विधि कार्य विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों, वित्तीय सलाहकार (डीआईपीएएम), वित्तीय सलाहकार (गृह मंत्रालय) और भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सीईपीआई) से मिलकर बनने वाले एक अंतर-मंत्रालयीय समूह का गठन कर सकेगी।

3. आस्ति के मुद्रीकरण पर सचिवों का कोर समूह (सीजीएएम).—केंद्रीय सरकार, सचिव (आर्थिक मामलों के विभाग), सचिव (राजस्व विभाग), सचिव (व्यय विभाग), सचिव (सार्वजनिक उद्यम विभाग), सचिव (कारपोरेट कार्य मंत्रालय), सचिव (विधि कार्य विभाग), सचिव (शहरी विकास)(भूआस्तियों के मुद्रीकरण के मामले में), सचिव (गृह मंत्रालय), सचिव (डीआईपीएएम) से मिलकर बनने वाले मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता के अधीन आस्ति के मुद्रीकरण (सीजीएएम) पर सचिवों के कोर समूह का गठन कर सकेगी।

4. वैकल्पिक क्रियाविधि (ए एम).—केंद्रीय सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले एक वैकल्पिक क्रियाविधि का गठन कर सकेगी।

- (i) गृह मंत्री;
- (ii) वित्त मंत्री; और
- (iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री।

5. अचल शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए प्रक्रिया और क्रियाविधि.-

- (1) शत्रु संपत्ति का निपटान आदेश, 2018 के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 7 के उपपैरा (1) के खंड (क) के निबंधनानुसार गृह मंत्रालय की शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा विक्रय के लिए सिफारिश की गई अचल शत्रु संपत्ति और गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा जिसका मूल्य वैकल्पिक क्रियाविधि द्वारा अनुमोदित अवसीमा मूल्य के ऊपर हो, का निपटान, विक्रय या अन्य प्रकार से, केंद्रीय सरकार द्वारा, यथा-अनुमोदित नीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
- (2) उक्त आदेश के पैरा (7) के उप पैरा (1) के खंड (क) के निबंधनानुसार उक्त शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा विक्रय के लिए सिफारिश की गई अचल शत्रु संपत्ति और जिसका मूल्य वैकल्पिक क्रियाविधि द्वारा अनुमोदित अवसीमा मूल्य से कम हो, का निपटान, विक्रय या अन्य प्रकार से, सीईपीआई द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।
- (3) कार्यालय ज्ञापन सं. 3/3/2018-डीआईपीएएम-II, तारीख 8 मार्च, 2019 में अनुमोदित और अधिकथित नीति तथा प्रक्रिया एवं वैकल्पिक क्रियाविधि द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले अतिरिक्त विस्तृत संव्यवहार प्रक्रिया का अचल शत्रु संपत्ति का निपटान के लिए अनुसरण किया जायेगा।

6. भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (सीईपीआई) द्वारा डीआईपीएएम को प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना.- सीईपीआई अचल शत्रु संपत्ति के निपटान के संबंध में किसी प्रस्ताव, जिसे अंतरमंत्रालीय समूह (आईएमजी) के समक्ष रखा जाना है, को डीआईपीएएम को भेजने से पूर्व.—

- (i) राज्य सरकार सहित सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके निपटान के लिए संपत्तियों का चयन करेगा;
- (ii) यह प्रमाणित करेगा कि निपटान हेतु पहचान की गयी शत्रु संपत्ति, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिलंघन नहीं करती हो; और
- (iii) यह प्रमाणित करेगा कि एक स्पष्ट विलेख उपलब्ध है और वह संपत्ति बाधा और अधिक्रमण से मुक्त है; और अंतरमंत्रालीय समूह (आईएमजी) के विचार के लिए सर्किल रेट (वह तारीख जिस पर वह दर नियत की गई थी, और सर्किल रेट के आवधिक पुनरीक्षण सहित) के साथ मूल्यांकन और अन्य सुसंगत कागजात, के साथ उक्त संपत्ति के निर्देशांक और राजस्व कागजातों के साथ संपूर्ण प्रस्ताव करेगी।

7. अंतर मंत्रालीय समूह (आई एम जी), सी ई पी आई के प्रस्ताव की समीक्षा के पश्चात्, अचल शत्रु संपत्ति के विक्रय हेतु अवसीमा मूल्य का अनुमोदन करने के लिए आस्ति मुद्रीकरण पर सचिवों के कोर समूह (सी जी ए एम) को या वैकल्पिक क्रियाविधि (ए एम), जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करेगी।

8. अभिरक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.—सीईपीआई, ऐसे अन्तराल पर केन्द्रीय सरकार को निपटान की गई अचल शत्रु संपत्ति, चाहे विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से, ऐसे ब्यौरे को अंतर्विष्ट करते हुए, जिसके अंतर्गत ऐसी शत्रु संपत्ति का विक्रय मूल्य सम्मिलित है और क्रेता की विशिष्टियां जिसको उक्त संपत्ति विक्रय की गई है या उसका निपटान किया गया है, जिसमे ऐसे विक्रय या अन्य प्रकार से, निपटान की गयी शत्रु संपत्ति की भारत की संचित निधि में जमा की गयी विक्रित राशि के ब्यौरे को सम्मिलित किया गया है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, शत्रु संपत्ति का अवसीमा मूल्य आस्तियों के मूल्य पर और आईएमजी/सीजीएएम द्वारा सिफारिश की गई किसी अन्य कसौटी के आधार पर वैकल्पिक क्रियाविधि (ए एम) द्वारा विनिश्चय किया जाएगा, जो इस क्रियाविधि के माध्यम से आस्तियों के मुद्रीकरण का विनिश्चय करेगा।

[फा. सं. 37/32/2018-ईपी]

के. बी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 22nd January, 2020

S.O. 292(E).—In pursuance of the powers conferred under sub-sections (5), (6) and (7) of section 8 A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following order for disposal of immovable enemy properties vested in the Custodian of Enemy Property for India under the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Procedure and Mechanism for Disposal of Immovable Enemy Properties Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Inter-Ministerial Group (IMG).—The Central Government may constitute an Inter Ministerial Group chaired/co-chaired by Secretary, DIPAM and Secretary, Ministry of Home Affairs and consisting of representatives of the Ministry of Home Affairs, Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Public Enterprises, Department of Legal Affairs, Ministry of Corporate Affairs, Financial Advisor (DIPAM), Financial Advisor (Ministry of Home Affairs) and Custodian of Enemy Property for India (CEPI).

3. Core Group of Secretaries on Asset Monetisation (CGAM).—The Central Government may constitute a Core Group of Secretaries on Asset Monetisation (CGAM) under the Chairmanship of Cabinet Secretary comprising of Secretary (Department of Economic Affairs), Secretary (Department of Revenue), Secretary (Department of Expenditure), Secretary (Department of Public Enterprises), Secretary (Ministry of Corporate Affairs), Secretary (Department of Legal Affairs), Secretary (Urban Development) (in case of monetisation of land assets), Secretary (Ministry of Home Affairs) and Secretary (DIPAM).

4. Alternative Mechanism (AM).—The Central Government may constitute an Alternative Mechanism consisting of the following namely.

- (i) Home Minister;
- (ii) Finance Minister; and
- (iii) Minister of Road Transport and Highways.

5. The procedure and mechanism for disposal of Immovable Enemy Properties.—

- (1) The immovable enemy property recommended for sale by the Enemy Property Disposal Committee of the Ministry of Home Affairs in terms of clause (a) of sub-paragraph (1) of Paragraph 7 of the Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018 and approved by the Ministry of Home Affairs and having value above the threshold, as may be approved by the Alternative Mechanism shall be disposed of, through sale or otherwise, as per the policy and procedure as approved by the Central Government.
- (2) The immovable enemy property recommended for sale by the said Enemy Property Disposal Committee in terms of clause (a) sub-paragraph (1) of paragraph 7 of the said Order and having value below the threshold as approved by Alternative Mechanism, shall be disposed of, through sale or otherwise, by the CEPI with prior approval of the Central Government.
- (3) The policy and procedure as approved and laid out in OM No. 3/3/2018- DIPAM –II, dated the 8th March, 2019 and further detailed transaction process as may be approved by the Alternative Mechanism shall be followed for disposal of immovable enemy properties.

6. Submission of proposal by the Custodian of Enemy Property for India (CEPI) to DIPAM.—The CEPI shall before submitting any proposal to DIPAM in regard for disposal of immovable enemy property for placing before the Inter Ministerial Group (IMG).-

- (i) select the properties for disposal in consultation with all the stakeholders including the State Government;
- (ii) certify that the disposal of the identified enemy property is not in contravention of any judgement, decree or order of any court, tribunal or other authority or any law for the time being in force; and
- (iii) certify that a clear title deed is available and that the property is free of encumbrances and encroachments; and give a complete proposal with the coordinates and revenue papers of the said property along with the circle rates (including the date on which this rate was fixed, and the periodicity of the revision of the circle rate), valuation and other relevant papers for consideration of the Inter- Ministerial Group (IMG).

7. The Inter Ministerial Group (IMG), after examining the proposal of CEPI, shall recommend it to the Core Group of Secretaries on Asset Monetisation (CGAM) or the Alternative Mechanism (AM), as the case may be, to approve the threshold value for sale of Immovable Enemy Properties.

8. Submission of report by the Custodian to the Central Government.—CEPI shall submit a report to the Central Government at such interval, of the immovable enemy property disposed of, whether by sale or otherwise, containing such details, including the sale value of such enemy property and the particulars of the buyer to whom the said property have been sold or disposed of; and the details of the proceeds of sale or disposal deposited into the Consolidated Fund of India, as the Central Government, may specify.

Explanation.—For the purposes of this Order, the threshold value of Enemy Property shall be decided by the Alternative Mechanism (AM) based on the value of assets and any other criteria recommended by IMG/CGAM which would determine the assets that would be monetised through this mechanism.

[F. No. 37/32/2018-EP]

K. B. SINGH, Jt. Secy.